साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

दि कार्मिक पोस्ट

वर्ष : 5, अंक : 43 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 17 जून से 23 जून 2020 पेज : 4 कीमत : 3 रुपये

कोरोना महामारी नें आज अपनें पैर पूरी पूरी दुनियां में पसार लिए हैं छुआछूत की वजह से फैलनें वाली इस बीमारी की वजह से बड़ी जनसंख्या घनत्व वाले शहर आज तबाही के कगार पर हैं। आये दिन भूकम्प का आना, टिड्डी दलों के हमले, अमेजन से लेकर उत्तराखंड के बनों का दहकता हो, पूरी पृथ्वी के या फिर जंगली जानवरों का आबादी में हमला इन सभी परिस्थितियों में मानव समाज के सामने अस्तित्व के संकट के रूप में उजागर हो रही है। इसका मुख्य कारण पृथ्वी पर मनुष्यों, जानवरों और वनस्पतियों का

हरियाली क्रांति का फार्मूला, पर्यावरण पखवाड़ा मना किया पौधरोपण

अपनें देश के संदर्भ में इन बातों को देखा जाय तो स्थिति और भी खराब नजर आती है अपने देश का क्षेत्रफल 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के लिहाज से अपना देश विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत भौगोलिक हिस्सा रखता है। लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा भारत का है इस वजह से अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन प्राकृतिक संसाधन सिमट रहे हैं इस वजह से हमारे देश में प्राकृतिक संशाधनों पर प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी कम होती जा रही है 7 इस परिस्थिति में बहुत से राजनेता और विचारक जहां जनसंख्या रोकनें की मांग कर रहे हैं वहीं देश के 18 राज्यों के 202 जिलों में 14 हजार 5 सौ स्वयंसेवकों की मदद से 2 करोड़ से ज्यादे पेड़ लगा चुके पीपला बाबा , जिन्होंने 43 सालों से घटते पेड़ों को बढ़ाने के लिए जबरदस्त मुहीम छेड़ रखी है- देश में हरियाली क्रांति लानें का सुझाव देते हैं। उन्होंने अपने इस 15 दिवसीय पर्यावरण पखवाड़े में देश में 40 त्न पेड़ों का हिस्सा प्राप्त करनें के लिए 4 बड़ी बातें लागू करनें की अपील की है, पीपल बाबा का कहना है कि देश में श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के तर्ज पर हरियाली क्रांति चलाई जानी चाहिए लेकिन हरियाली क्रांति में लोक भागीदारी हो इसे लोगों के संस्कार से जोड़ा जाये।

स्वच्छ पर्यावरण का मौलिक अधिकार हमें संविधान देता है और समय समय पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण भी इसकी वकालत करता रहा है। हमें पर्यावरण के मामले में अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों पर ज्यादे जोर देनें की जरूरत है। जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन (1976 ई)0 के द्वारा मौलिक कर्तव्य (इसे रूस के संविधान से लिया गया है) को संविधान में जोड़ा गया अब पीपल बाबा नें भारत सरकार से यह मांग की है कि मौलिक कर्तव्य नंबर 7 - नागरिक प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे में पर्यावरण संवर्धन हेतु हर साल एक पेड़ लगाकर उनके देखभाल करनें की बात को अनिवार्य किया जाए।

जैसे सी एस आर एक्ट -2013 के मुताबिक देश के बड़े औधोगिक घरानों को उनके कमाई के 2 त्न भाग को सामजिक कार्यों में खर्च करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया था और देश के औधोगिक घरानों और समूहों नें सहर्ष स्वीकार किया था 7 वैसे ही देश के नागरिके लिए सिटीजन एनवायरनमेंट रेस्पोंसिबिलिटी तय की जाय कम से कम उन्हें साल भर में एक पेड़ लगाकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी जरूर दी जाए।

प्रधानमंत्री के द्वारा चलाये गए स्वच्छ भारत अभियान से देश के हर हिस्से के लोग जुड़े थे 7 साफ सफाई करते हुए तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी पर इन तस्वीरों में पेड़ लगाते हुए तस्वीरें भी दिखें - इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ पर्यावरण का हिस्सा सुनिश्चित किया जाए।

समुद्र के स्तर में वृद्धि जारी रही तो 2050 तक मैंग्रोव वन गायब हो जाएंगे

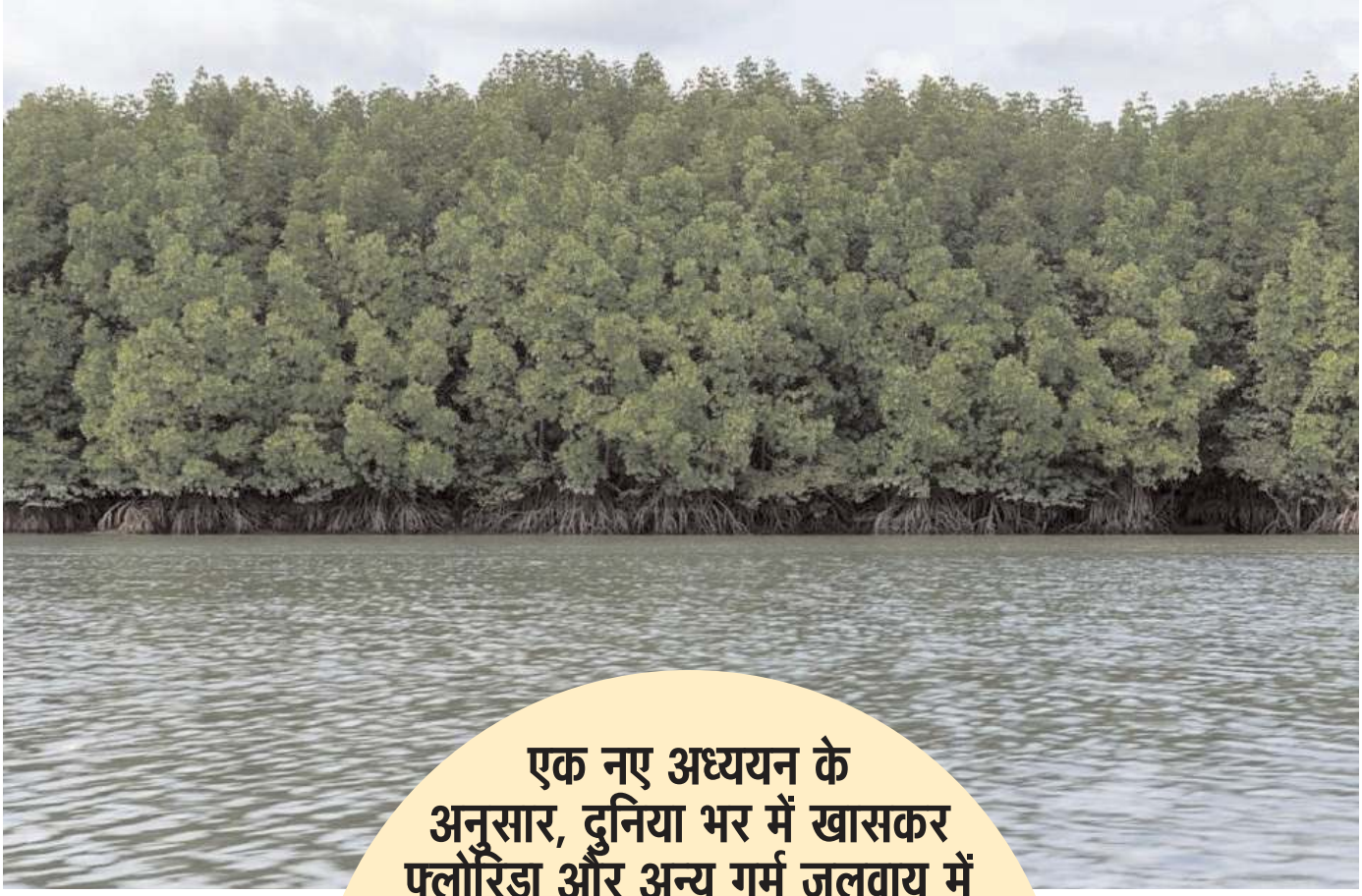

एक नए अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में खासकर फ्लोरिडा और अन्य गर्म जलवायु में पाए जाने वाले मैंग्रोव के पौधें और मूल्यवान तटीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बच पाएंगे। यदि ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन में कमी नहीं हुई तो समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी और 2050 तक ये पेड़ विलुप्त हो जाएंगे। रटगर्स यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया यह अध्ययन जर्नल साइंस में प्रकाशित हुआ है।

मैंग्रोव वन बड़ी मात्रा में कार्बन जमा करते है और समुद्री तटों की रक्षा करने में मदद करते हैं। मछली और अन्य प्रजातियों के लिए ये आवास प्रदान करते हैं। पिछले 10 हजार वर्षों के तलछट (सेडीमेंट) के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, ऑस्ट्रेलिया में मैक्वेरी विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने समुद्र-स्तर की वृद्धि की दर के आधार पर मैंग्रोव के जीवित रहने की संभावना का अनुमान लगाया है।

जब जल स्तर बढ़ने की दरें प्रति वर्ष 6 मिलीमीटर से अधिक होती हैं, तो 2050 में उच्च-उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत अनुमानों के आधार पर, वैज्ञानिकों ने पाया कि मैंग्रोव का बढ़ते जल स्तर के साथ तालमेल रखने की संभावना बहुत कम है। समुद्र के स्तर में वृद्धि प्रति वर्ष 5 मिलीमीटर (लगभग 0.2 इंच) से कम होने पर मैंग्रोव के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। यह इस सदी में उत्सर्जन कम करने वाले परिदृश्यों के आधार पर अनुमानित है।

रटगर्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एरिका ऐश कहते है कि उच्च उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत, कई उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों पर समुद्र-स्तर की वृद्धि की दर प्रति वर्ष 7 मिलीमीटर से अधिक हो जाएगी। जिस दर पर हमने निष्कर्ष निकाला वह 6.2 प्रतिशत है, जहां मैंग्रोव के विकास को बनाए रखने की संभावना है। इन मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान के परिणामस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी और लंबे समय में आने वाले तूफानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

मैंग्रोव पेड़ों की लगभग 80 प्रजातियां हैं, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार, मैंग्रोव के जंगल समुद्र के किनारों को स्थिर करते हैं, तूफानी लहरों, धाराओं, लहरों और ज्वार से कटाव को कम करते हैं। मैंग्रोव की जटिल जड़ प्रणाली मछलियों और अन्य जीवों के लिए आकर्षक बनाती है, जो शिकारियों से भोजन और आश्रय देते हैं।

अध्ययन में 78 स्थानों को शामिल किया गया और यह पता लगाया गया कि कैसे 10 हजार से अधिक साल पहले लगभग स्थिर परिस्थितियों में 4 हजार साल बाद मैंग्रोव ने समुद्र स्तर की वृद्धि की दर को 10 मिलीमीटर वार्षिक से धीमा कर दिया था। उस अवधि के दौरान मैंग्रोव जंगलों ने कार्बन के भंडारण कर ग्रीनहाउस गैस के स्तर को कम करने में योगदान दिया था।

निष्कर्ष तेजी से समुद्र के स्तर में वृद्धि के परिमाण को कम करने और तटीय अनुकूलन उपाय मैंग्रोव को तटीय तराई क्षेत्रों में फैलने में मदद कर सकते हैं।

गुजरात के गिर में 5 माह में 92 शेरों की मौत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 10 जून को एशियाई शेरों की आबादी (2015 और 2020 के बीच 151) में 29 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि का जश्न मना रहे थे, तब ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि जनवरी से लेकर अब तक गुजरात के गिर लॉयन लैंडस्केप (जीएलएल) में 92 एशियाई शेरों की मौत हो चुकी है।

कुछ शेर आपस में लड़ कर मर गए और कई कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) की वजह से मर गए। मंत्रालय से जुड़े एक सूत्र जिनके पास रिपोर्ट है ने डाउन टू अर्थ को बताया कि जसधर रेसक्यू सेंटर में समिति को दो शेर दिखाए गए, जो सीडीवी से पीड़ित थे।

92 में से 36 शेरों की मौत मई में हुई, जबकि अप्रैल में 24, मार्च में 10, फरवरी में 12 और जनवरी में 10 शेरों की मौत हुई थी। डाउन टू अर्थ के पास इसके आंकड़े हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मरने वालों में 19 शेर, 25 शेरनियां, 42 शावक और 6 अज्ञात शेर शामिल हैं। इनमें से सबसे अधिक 59 शेरों की मौत गिर के ईस्ट डिवीजन, धारी में हुई, जहां 2018 में सीडीवी का प्रकोप हुआ था।

दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2018 में जब सीडीवी का प्रकोप हुआ था, उस महीने 26 शेरों की मौत हुई थी, जबकि मई में उससे अधिक शेरों की मौत हुई।

एशियाई शेरों के विशेषज्ञ एवं भारतीय जैवविविधता एवं स्वास्थ्य सेवाओं के आंकड़े उपलब्ध कराने वाली गैर लाभकारी संस्था मेटास्ट्रींग फाउंडेशन के सीइओ रवि चेल्लम के अनुसार, गिर लॉयन लैंडस्कैप में शेरों की मृत्यु दर का कोई बेसलाइन डाटा उपलब्ध नहीं है। मार्च 2018 में गुजरात सरकार ने कहा था कि दो साल में 184 शेरों की मौत हो गई। इस बार पांच महीनों में 92 की मौत हुई है, जबकि 60 की मौत सिर्फ अप्रैल और मई में हुई है।

हालांकि, गुजरात वन विभाग ने सीडीवी की उपस्थिति से इनकार किया है। जूनागढ़ वन्यजीव सर्कल के मुख्य वन संरक्षक डीटी वासवदा ने कहा कि गिर में यहां कोई सीडीवी नहीं है। हमने अप्रैल में बेबेसिया और सीडीवी के लिए बड़ी संख्या में नमूनों का परीक्षण करने के लिए भेजा, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि सीडीवी का मुद्दा गुजरात सरकार के खिलाफ मीडिया द्वारा उछाला गया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

मंत्रालय ने 29 मई को एक समिति का गठन किया। इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सहायक महानिरीक्षक, मंत्रालय के वन्यजीव प्रभाग के संयुक्त निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रतिनिधि और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली के एक पशु चिकित्सक शामिल है। मंत्रालय ने समिति के गठन के साथ ही कहा था कि समिति को जून के पहले सप्ताह में ही क्षेत्र का दौरा करना चाहिए और शेरों की मौत के संयोग, मृत्यु का कारण पता करना चाहिए। साथ ही, यह भी पता करना चाहिए कि शेरों की मौत को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए। समिति ने 31 मई और 1 जून के बीच क्षेत्र का दौरा किया और जून के पहले सप्ताह में मंत्रालय को एक मसौदा प्रस्तुत किया गया। इसका मतलब है कि जब प्रधानमंत्री गुजरात में शेरों की संख्या की वृद्धि की प्रशंसा कर रहे थे, सरकार गिर में एशियाई शेरों की मृत्यु की उच्च दर से पूरी तरह से अवगत थी। 10 जून को, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) से दो पेज की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 15वीं एशियाई शेरों की आबादी का अनुमान 5-6 जून को लगाया जाना था, लेकिन कोरोना संकट के चलते इसे टाल दिया गया। क्या यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया?

गुजरात के वन विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि गिर में शेरों की मौतों की खबर से ध्यान हटाने के लिए एशियाई शेरों के आंकड़ों का प्रचार किया जा रहा है। शेरों की मौत की जांच कर रही समिति की रिपोर्ट सरकार के पास थी, लेकिन इससे ध्यान हटाने के लिए 5-6 जून को लगाए गए अनुमान को बढ़-चढ़ कर प्रचारित किया जा रहा है। अधिकारी कहते हैं कि जो अनुमानित आंकड़ा अभी बताया जा रहा है, वो नियमित प्रक्रिया है। 5-6 जून को जो अनुमानित गिनती की गई, उसे पूनम अवलोकन कहा जाता है। और यह अवलोकन 2014 के बाद से हर महीने गिर में वन विभाग द्वारा किया जाता है। वन विभाग के अधिकारी अपने अपने डिवीजन में गश्त के दौरान शेरों की गणना करते हैं। रवि चेलम कहते हैं कि गुजरात सरकार पिछले कई सालों से यह बहाना बनाती रही है कि मध्यप्रदेश के कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में शेरों का पता नहीं चल पाता है। यह सही है कि यहां सीडीवी अपनी पकड़ बना चुका है और यह एक टाइम बम की तरह है। समझ नहीं आता कि 2103 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है, हम दुनिया की एकमात्र एशियाई शेर आबादी को खतरे में क्यों डाल रहे हैं?

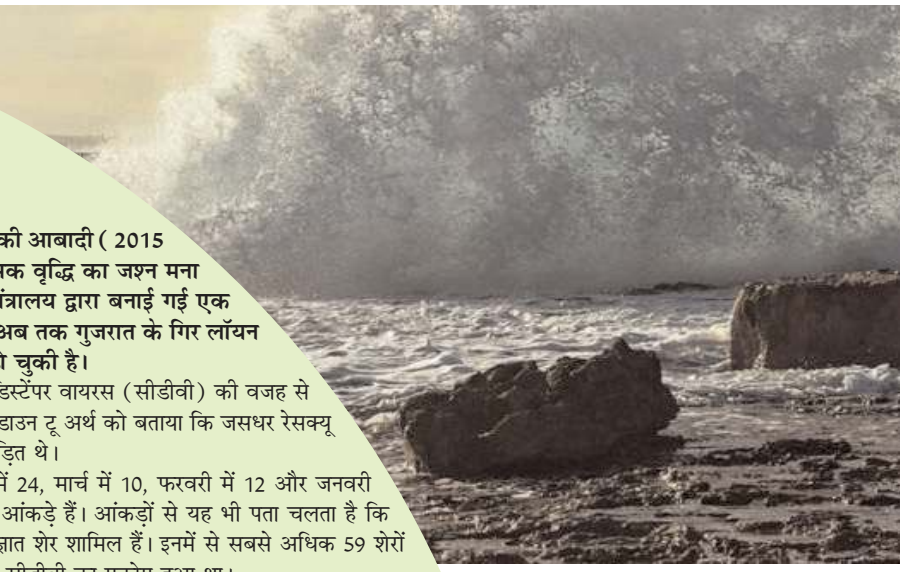

जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों में बढ़ जाएंगे तूफान

एक गर्म होते ग्रह में अगले 80 वर्षों में तेज तूफानी हवाओं के कारण बड़े और अधिक लगातार चरम लहरें आएंगी। नए शोध के अनुसार इस तरह की लहरों की वृद्धि दक्षिणी महासागर में सबसे अधिक होगी।

मेलबर्न विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विभिन्न वायु स्थितियों के तहत पृथ्वी की बदलती जलवायु का विश्लेषण किया है। चरम घटनाओं की भयावहता और आवृत्ति (फ्रीक्वन्सी) का मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने हजारों नकली तूफानों का पुन- निर्माण किया है।

अध्ययन में पाया गया कि यदि वैश्विक उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो व्यापक समुद्री क्षेत्रों में चरम लहरों की आवृत्ति और परिमाण में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। यह अध्ययन साइंस एडवांसेज नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

इसके विपरीत, शोधकर्ताओं ने पाया कि उन जगहों पर ये घटनाएं काफी कम होगी और लहरों में भी वृद्धि नहीं होगी, जहां जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हों। दोनों परिदृश्यों में, चरम लहरों में परिमाण और आवृत्ति में सबसे बड़ी वृद्धि दक्षिणी महासागर में होगी।

यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के शोधकर्ता प्रोफेसर इयान यंग ने चेतावनी दी है कि अधिक तूफान और चरम लहरों के परिणामस्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और इससे जानमाल को नुकसान होगा। प्रोफेसर यंग ने कहा कि दुनिया भर में लगभग 29 करोड़ लोग उन क्षेत्रों में पहले से ही रहते हैं जहां हर साल बाढ़ आने के आसार अधिक हैं। चरम लहर की घटनाओं के जोखिम में वृद्धि भयावह हो सकती है, क्योंकि बड़े और अधिक लगातार तूफान, अधिक बाढ़ और तटवर्ती/किनारों के कटाव का कारण बनेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न पोस्टडॉक्टोरल फेलो इन ओसियन वेव मॉडलिंग और प्रमुख शोधकर्ता अल्बर्टो मेउची ने कहा कि अध्ययन से पता चलता है कि दक्षिणी महासागर क्षेत्र में 21 वीं शताब्दी के अंत तक दुनिया भर में खासकर ऑस्ट्रेलियाई, प्रशांत और दक्षिण अमेरिकी समुद्र तटों पर संभावित प्रभाव के साथ चरम लहरों के आने की आशंका अधिक है। मेउची ने कहा अगर हम वैश्विक तटरेखाओं को नुकसान की गंभीरता को कम करना चाहते हैं, तो हमें स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाना होगा। हम इसके माध्यम से उत्सर्जन में कमी कर सकते हैं। इस तरह की घटनाओं मे कमी लाने के लिए हमें अपने ग्रह के तापमान को सीमा के अंदर रखना होगा। समुद्र के नजदीक रहने वाले करोड़ों लोगों को इन घटनाओं से जानमाल का नुकसान होने, पलायन से उनको बचाया जा सकता हैं।

जलमार्गों पर पर्यावरण नियमों में संशोधन पड़ सकते हैं भारी

मार्च 2020 में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (एनवायरमेंट इंपेक्ट ऐससमेंट- ईआईए) अधिसूचना 2006 में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इस ड्राफ्ट में अंतर्देशीय जलमार्गों को पहली बार पर्यावरण अधिसूचना में शामिल किया गया है।

ध्यान देने की बात यह है कि अंतर्देशीय जलमार्गो को ईआईए प्रारूप अधिसूचना 2020 की अनुसूची के प्रवर्ग ख 2 में शामिल किया गया है। मतलब अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए बिना प्रभावों का मूल्यांकन किए केवल पर्यावरणीय अनुज्ञा (एनवायरमेंटल परमिशन -ईपी) की जरुरत होगी और यह ईपी बिना किसी अर्थपूर्ण आंकलन या समीक्षा के 15 दिनों में प्रदान कर दी जाएगी। इनके लिए विस्तृत पर्यावरणीय प्रभावों (ईआईए) का आकलन नहीं किया जाएगा और ना ही कोई जन सुनवाई होगी। केवल पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) के आधार पर ही पर्यावरणीय अनुज्ञा (ईपी) दे दी जाएगी।

ईआईए प्रारूप अधिसूचना 2020 में अंतर्देशीय जलमार्गों को प्रवर्ग ख 2 में शामिल शायद यह सोचकर किया गया है कि जलमार्गों के बहुत कम विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। यह सच्चाई से कोसों दूर है, क्योंकि अंतर्देशीय जलमार्गों का निर्माण, संधारण और संचालन भू-आकृति, पर्यावास, पारिस्थितिकी, नदियों और अन्य जलस्त्रोतों के जीव-जंतुओं और इन जलस्त्रोतों पर निर्भर समुदायों - खास कर के मच्छुआरा समाज पर बड़े विपरीत प्रभाव डालते हैं।

जलमार्ग के बड़े पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव

राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद कई नदियों, मुहानों, और नहरों में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये गए हैं। नदियों के कई हिस्से जिनमें जलमार्ग प्रस्तावित है वे पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्र हैं। कोयला, फ्लाई एश, रसायन, उर्वरक, सीमेंट जैसे खतरनाक पदार्थ थोक में ढोने वाली बड़ी नौकाओं का पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में परिवहन इन पदार्थों के रिसने से प्रदूषण फैलाएगा तथा इससे दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। साथ ही बंदरगाह इत्यादि से सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ेंगे ।

लॉकडाउन के दो माह के दौरान फ्लाई ऐश (कोयला आधिरित ताप विद्युत् संयंत्र से निकली राख) से भरे पांच जहाज पश्चिम बंगाल की नदियों में डूब गए। नदियों के जिन हिस्सों में ये हादसे हुए वे इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 और राष्ट्रीय जलमार्ग-97 के भाग हैं। जहरीली फ्लाई ऐश से नदियों में प्रदुषण बढ़ेगा और नदी की परिस्थितिकी को भी क्षति पहुंचेगी । इन हादसों से मालूम पड़ता है कि अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए सख्त पर्यावरणीय निगरानी कितनी आवश्यक है।

नदी में गंदलेपन बढ़ने, शोर में वृद्धि होने और विशाल पोतो के चलने से मछलियों के पनपने पर नुकसान होगा। स्थानीय मच्छुआरों की आजीविका को क्षति पहुचेगी। फरवरी 2020 में पश्चिम बंगाल के मछुआरों से भेंट में मैंने जाना कि विशाल पोत मछली पकड़ने के जालों को भी क्षति पहुचाते हैं। उनके मुताबिक ड्रेजिंग से निकला हुआ मलबा भी नदी में जलमार्ग प्रणाली के परे नदी में ही डाला जाता है जिससे मछली पकड़ने में मछुआरों को दिक्कत झेलनी पड़ती है ।

कमजोर नियम

चूंकि नदियों में प्राकृतिक रूप से बड़े जहाजों के चलने लायक पर्याप्त गहराई और चौड़ाई नहीं होती है, जलमार्गों के लिए नदी तल में ड्रेजिंग (तलकर्षण) की जरुरत होगी। ड्रेजिंग के कारण नदी तल में पहले से दबे हुए जहरीले प्रदूषक निकल कर पानी में मिल सकते हैं तथा शोर और गंदलेपन में वृद्धि हो सकती है। ध्यान देने की बात है की जलमार्गों के विकास के साथ साथ जलमार्गो पर नौपरिवहन जारी रखने के लिए भी नदियों में लगातार ड्रेजिंग जारी रखनी पड़ेगी।

विशाल पोतों को नदी पर चलाने के उद्देश्य से आम तौर पर पहली बार होने वाली ड्रेजिंग को कैपिटल ड्रेजिंग (उत्कृष्ट तलकर्षण) कहते हैं, और नौवहन के लिए समुचित सुरक्षित गहराई बनाये रखने के लिए लगातार होने वाली ड्रेजिंग मेंटेनेंस ड्रेजिंग (अनुरक्षण तल्कर्षण) कहलाती है। ये दोनों ही प्रकार की ड्रेजिंग नदी की भौतिक आकृति एवं परिस्थितिकी के लिए हानिकारक मानी जाती है।

यही कारण है कि इन दोनों तरह की ड्रेजिंग के लिए ईआईए अधिसूचना 2006 के अतर्गत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य थी। यही वजह है कि अंतर्देशीय जलमार्गों के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 की अनुसूची में न होने के बावजूद, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक-4, 5, 27, 68 और 111, 53 को, पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया। इन जलमार्ग परियोजनाओं को प्रवर्ग %क% में रखा गया और इनमें से कई मामलों में सार्वजनिक जनसुनवाई आवश्यक थी।

परन्तु अब पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 के प्रारूप में ड्रेजिंग से सम्बंधित दो प्रावधानों को ऐसे परिवर्तित किया गया है कि अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए प्रस्तावित ड्रेजिंग पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया के परे रहे।

पहला, कैपिटल ड्रेजिंग की परिभाषा में नदी में होने वाली ड्रेजिंग शामिल नहीं की गयी है, केवल समुद्र में होने वाली ड्रेजिंग की बात कही गयी है। यह बहुत आपत्तिजनक प्रावधान है क्योंकि कई अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए कैपिटल ड्रेजिंग प्रस्तावित है। प्रारूप में कैपिटल ड्रेजिंग की परिभाषा मूल रूप से भी अपरिपूर्ण है।

दूसरा, मेंटेनेंस या रखरखाव ड्रेजिंग को इस प्रारूप में पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया से पूरी तरह से छूट दी गयी है । पहले यह छूट तब ही मान्य थी जब मेंटेनेंस ड्रेजिंग के प्रभावों का निपटारा, कैपिटल ड्रेजिंग की मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ किया गया हो।

निष्कर्ष

चूंकि अंतर्देशीय जलमार्गो की परियोजनाएं अपने किस्म की पहली परियोजनाएं हैं, इसीलिए नदियों पर प्रस्तावित की गई इन सारी परियोजनाओं के लिए बेसलाइन अध्ययन सहित पूरी तरह से पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन की विशेष जरुरत है। इसलिए जरुरी है कि ईआईए अधिसूचना 2020 में अंतर्देशीय जलमार्ग सम्बंधित सारी परियोजनाओं को प्रवर्ग-क में शामिल किया जाए, ताकि इनके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन हो सके।

जलमार्गों के सामाजिक और पर्यावरणीय विपरीत प्रभावितों के संदर्भ में इनके विकास और संचालन को समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए व्यापक जनविमर्श और जन सुनवाई अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा केपिटल ड्रेजिंग की परिभाषा में नदियों में होने वाली ड्रेजिंग जोड़ना और रखरखाव ड्रेजिंग से सम्बंधित उपरोक्त प्रावधानों से मिली छूट को वापस लेना जरुरी है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008